0141-5153222 Ext. 1587 (O)
Fax 0141-2227107 (O)

सत्यमेव जयते

Dr. Dinesh Kumar Goyal I.A.S.
Principal Secretary to Government of Rajasthan
Public Works Department

5022, Main Building, Secretariat,
Jaipur-302 005

डॉ. दिनेश कुमार गोयल आई.ए.एस.
शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

5022, मुख्य भवन, सचिवालय,
जयपुर-302 005

क्रमांक प.26/एस.ई.ट्रेफिक/यातायात/2009-10/डी -250 दिनांक 28.4.2010

आदेश

राज्य में स्थित सड़कों पर सुरक्षा करने, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली जन एवं धन की हानि को रोकने के लिए निम्न आदेश जारी किये जाते हैं –

1. **सड़कों के फोटो :** सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अभियन्ता के कार्य क्षेत्र में स्थित सभी सड़कों पर किलोमीटर स्टोन के साथ, जंक्शन, साईन बोर्ड, जेब्रा लाईन इत्यादि के फोटोग्राफ वैबसाईट पर डाले जाये ताकि सड़कों पर पेच एवं अन्य कमियों का सही आंकलन हो सके। तद्नुसार पैच/गढ्ढे एवं अन्य कमियों को 30 दिवस में ठीक करा दिया जावे।

2. **स्पीड ब्रेकर :** राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य उच्च मार्ग से मिलने वाली सड़क पर जंक्शन से पूर्व स्पीड ब्रेकर बनाये जावें। ब्रेकर का निर्माण इस प्रकार हो कि वह वाहन की गति को तो कम करें परन्तु वाहन या वाहन चालक को नुकसान नहीं पहुंचावें। ब्रेकर पर आवश्यक रूप से सफेद व काली पट्टी बनायी जावे जिनके स्पेसीफिकेशन आई.आर.सी. के अनुसार हों।

3 **जंक्शन:**

(i) सड़कों के जंक्शन इस प्रकार बनाये जावें कि वाहन चालक को दोनों तरफ लगभग 200 मीटर की दूरी तक साफ दिख सकें। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 10.3.2010 (परिशिष्ट-1 संलग्न) की पालना की जावे।

(ii) वर्ष 2010-11 में ऐसे 200 जंक्शन सुधार का लक्ष्य प्रति जोन (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता) निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए स्थान चिन्हित करें, कार्य शुरू करावें, एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करें।

4. **साईन बोर्ड :** सड़क जंक्शन पर चेतावनी साईन बोर्ड एवं मार्गदर्शन साईन बोर्ड लगाए जावें। सूचना पट्ट, एवं ट्रेफिक लाईटस् इस प्रकार लगावें कि वे ट्रेफिक में बाधा ना डाले एवं झाड़ियों इत्यादि से न ढक जावे।

5. **स्पीड गर्वनर :** मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत आदेशों के तहत सरकारी वाहनों पर 90 कि.मी. गति सीमा रखने के लिए स्पीड गर्वनर लगवाए जावे।

6. **पेन्टिंग :** सड़कों पर सरफेस पेन्टिग जैसे सेन्टर लाईन, बॉर्डर लाईन, जेब्रा क्रासिंग, सूचना पट्ट, किलोमीटर स्टोन इत्यादि की पेन्टिंग नियमित रूप से एवं कम से कम 6 माह में एक बार बरसात के पश्चात् की जावे।

7. **सफाई :** बरसात के तुरन्त बाद सड़क के दोनों ओर की बर्म्स् की सफाई की जावे। जंगली घास, बुश इत्यादि की सफाई करावें ताकि वाहन चालक को साफ दिखाई दे सके।

8. **रोड डिवाईडर** : रोड डिवाईडर के कट्स आई.आर.सी. स्पेसिफिकेशन के अनुसार कम से कम हों। रोड डिवाईडर पर लगाए गए फूल, पौधे इत्यादि न केवल उसे सुन्दर बनावे बल्कि कम से कम इतने उंचे हो कि सड़क की दूसरी ओर चल रहे वाहनों की लाईटों से बचाव हो सके।

9. **रोड क्रासिंग** : बस स्टेण्ड, टैम्पू स्टेण्ड इत्यादि रोड़ क्रासिंग पर न हो ताकि वाहन चालक दूर–दूर तक साफ देख सके।

10. **सड़क तकमीने** : सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण व सुदृढीकरण के तकमीनों में सड़क सुरक्षा के कार्यो को आवश्यक रूप से शामिल किया जाय। दुर्घटना संभावित क्षेत्र को इन्जीनियरिंग के मापदण्डों द्वारा सुव्यवस्थित किया जावे जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

11. **पालनाः** उक्त प्रकार पालना कर दि. 31.5.2010 तक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण, मुझे, एवं आयुक्त परिवहन को अवगत करावें।

(डॉ. दिनेश कुमार गोयल)

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. मुख्य अभियन्ता, एन.एच. / पी.एम.जी.एस.वाई. / एस.एस. / भवन, सार्वजनिक निर्माण विभाग
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (समस्त)
5. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (समस्त)
6. अधीशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (समस्त)
7. ए.सी.पी., सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ/अवलोकनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान — फैक्स नं. 0141–2227597
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान — फैक्स नं. 0141–2227622
3. निजी सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान — फैक्स नं. 0141–2227981
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान। — फैक्स नं. 0141–2227114
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग — फैक्स नं. 0141–2227741
6. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग — फैक्स नं. 0141–2227570
7. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग — फैक्स नं. 0141–2227112
8. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग — फैक्स नं. 0141–2227333
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चौमू हाउस, जयपुर — फैक्स नं. 0141–2369266
10. डॉ. माया टण्डन, मैनेजिंग ट्रस्टी, डॉ. एम.एन. टण्डन मेमोरियल चेरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर।
11. श्री प्रमोद भसीन, मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान, जयपुर। 0141-2373076
12. श्री प्रदीप एस. मेहता, जनरल सैक्रेट्री, कट्स, जयपुर।
13. श्रीमती प्रकरणा सिंह, अध्यक्ष, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर।
14. श्री आदित्य पाठक, हैड, राजस्थान प्रोजक्ट, लाईफ लाईन फाउडेशन, जयपुर।
15. श्री नरेन्द्र अरोड़ा, जनरल सैक्रेट्री, एकजुट संस्थान, जयपुर।
16. श्री लोकेश वर्मा, सचिव, गूंज संस्था, जयपुर।
17. श्री गिरीश शर्मा, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर।
18. श्री उमेश शर्मा, निदेशक, सक्षम, जयपुर।
19. श्री योगेश एन. वैष्णव, अध्यक्ष, वेस्टर्न इण्डिया, ऑटोमोबाईल एसोसियेशन, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव